केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
सेक्टर 'जे' अलीगंज Sector 'J' Aliganj,
लखनऊ / LUCKNOW-226024
DC :2745386, AC: 2745925,2745506,2746321
ईपीबीएक्स @EPBX: 2745535 / फैक्स Fax: 2745536
email:aclucknow@yahoo.com,website:kvsrolucknow.org

फा-26046(1)/2015-16/आर ओ लखनऊ/ दिनॉक-08.05.2015

ई-मेल

सेवा में,
प्राचार्य,
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,
लखनऊ संभाग

विषय:- कर्मचारियों के वर्ष 2015-16के लिये स्थानान्तरण से संबंधित विस्थापन काउन्ट एवं स्थानान्तरण काउन्ट लखनऊ संभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि कर्मचारियों के वर्ष 2015-16 के लिये स्थानान्तरण से संबंधित विस्थापन काउन्ट एवं स्थानान्तरण काउन्ट लखनऊ संभाग के वेब साइट (kvsrolucknow.org.in) पर दिनॉक 08.05.2015 को प्रदर्षित कर दिये गये हैं । **आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालय के कर्मचारियों के बायोडाटा डाउन लोड करके विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को दिखा कर उनसे चेक कराने के बाद उनसे हस्ताक्षर करवा कर हस्ताक्षरयुक्त मूल प्रति पर प्राचार्य द्वारा सत्यापित करने के पश्चात दिनॉक 14.05.2015 तक हाथो-हाथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें । साथ ही साथ यदि किसी कर्मचारी के डाटा में कोई त्रुटि हो या संशोधन करवाना चाहता है तो उससे लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करके सूची के साथ ही भेजें, ताकि समय से संशोधन करके मुख्यालय को सूचित किया जा सके ।** स्थानान्तरण दिशा निर्देशिका के अनुसार:-

1- जिन महिला कर्मचारियों ने महिला के अंक नहीं लिये है तथा उनके स्पाउस केन्द्रीय विद्यालय संगठन या सरकारी सेवा में नहीं हैं, उन्हें महिला के अंक प्रदान किये गये हैं ।

2- जिन कर्मचारियों ने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण हेतु पार्ट बी एवं सी में स्टेशन कोड के बजाय के0वि0 कोड भरा है, उनके अनुरोध को नहीं माना गया है ।

3- जिन कर्मचारियों ने एलटीआर के अंक नहीं लिये है उन्हें पार्ट बी में एलटीआर के अंक दे दिये गये हैं । और यदि स्थानान्तरण के लिये अनुरोध किया है तो पार्ट सी में भी अंक दिये गये हैं(यदि उनका पिछला स्थानान्तरण एलटीआर के आधार पर नहीं हुआ है) ।

4- जिन कर्मचारियों ने स्पाउस के अंक के लिये अनुरोध किये हैं लेकिन स्पाउस का डिक्लेयरेशन नहीं दिये हैं उन्हें स्पाउस के अंक नहीं दिये गये हैं । यदि महिला कर्मचारी है तो उसे केवल महिला का अंक प्रदान किया गया है ।

5- स्थानान्तरण निर्देर्शिका के अनुसार शिफ्ट बदलने के लिये आवेदन पत्रों के पार्ट सी में अंक प्रदान नहीं किये गये हैं और न तो उनके अनुरोध को माना गया है ।

6- एपीआर के आउट स्टैन्डिंग के अंक इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उन्हीं कर्मचारियों को दिये गये हैं जिन्होंने पार्ट सी भरे हैं । फिर भी पार्ट सी भरने वाले किसी कर्मचारी को यदि एपीआर के आउट स्टैन्डिंग के अंक प्रदान नहीं किये गये हैं तो साक्ष्य(एपीआर की प्रति) के इस इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

7- कुछ कर्मचारियों ने एमडीजी के आधार पर स्थानान्तरण /स्थानान्तरण न होने हेतु अनुरोध किया है, लेकिन स्थानान्तरण निर्देशिका के अनुसार संभागीय चिकित्सा समिति द्वारा जिनके चिकित्सा प्रमाण पत्र को स्वीकार किया गया है उन्हीं को एमडीजी का अंक प्रदान किया गया है । जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र संभागीय चिकित्सा समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें एमडीजी का अंक प्रदान नहीं किया गया है ।

8- नियुक्ति पत्र के अनुसार नव नियुक्ति पर एक वर्ष के अन्दर के किसी भी कर्मचारी को पार्ट सी में अंक प्रदान नहीं किया गया है ।

9- जो कर्मचारी स्पाउस/एटीआर/एमडीजी/डीएफपी एवं पीसीई के आधार पर स्थानान्तरण पर आये हैं और पुन: उसी आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया है, उसे उस आधार का अंक पार्ट सी में प्रदान नहीं किया गया है ।

आपसे पुन: अनुरोध है कि कर्मचारियों के बायोडाटा भली-भॉति कमचारियों से चेक करवा कर अपने कार्यालय द्वारा भी सत्यापित करवा लें ।यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका आवरक पत्र(कवरिंग लेटर) में पूर्ण विवरण अवश्य दर्शायें एवं कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदन सक्ष्यों सहित संलग्न करें । दिनॉक 15.05.22015 के बाद प्राप्त किसी भी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । और इसके बाद किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिये प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

अति आवश्यक कार्रवाइ हैतु ।

भवदीय,

(एस0 के0 वर्मा)
उपायुक्त